

# न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरु

पीठासीन अधिकारी: राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या- 2019/00005

दायर दिनांक 23.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

-सायल-

बनाम

गणेश सुरेका पुत्र मन्नालाल सुरेका मैसर्स- राजघराना मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड  
राजलदेसर जिला चूरु

-गैरसायल-

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (11)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011  
उपस्थित - 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

1. यह कि मै नागरमल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरु में आने वाले सगस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2018 को 11:40 ए.एम. पर मै0 राजघराना मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड राजलदेसर की दुकान पर पहुंचा। वहां पर गणेश सुरेका अपनी दुकान में 5 किलोग्राम मिल्क केक एक ट्रे में बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री गणेश सुरेका से पुछने पर बताया कि मिल्क केक बनाकर ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री गणेश सुरेका को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. मिल्क केक में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मिल्क केक चार साफ सुखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री गणेश सुरेका को 520/-रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाटे एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ब्ररीदशुदा मिल्क केक को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली सुखी प्लास्टिक कि बोतलो को दिश्राकर उक्त खरीदशुदा मिल्क केक को प्रत्येक बोतल में



*ndr*  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टि बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40-40 बूंदे डालकर बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनों की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल-1941 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अंकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरु की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल-1941 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनों के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने क भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विशलेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे में फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में

नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक-383 दिनांक 15.11.2018 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विशलेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1664/ एक्ट/2018/350 दिनांक 05.11.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ मिल्क केक, सबस्टैण्डर्ड फुड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ ने क्रमांक एफएसएसए/2018/430 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।



*Handwritten signature*  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

9. यह कि उक्त प्रकरण में गणेश सुरेका ने सबस्टैण्डर्ड मिल्क केक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने दिनांक 18.06.2019 को स्वयं उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ मिल्क केक का सेम्पल नं. एल-1941 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./1664/एक्ट/2018/350 दिनांक 05.11.2018 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावे।

गैरसायल ने जरिये प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.06.2019 कहा कि अनुवानी प्रकरण में गैरसायल उक्त प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करवाना चाहता है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व गैरसायल को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मिल्क केक की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1664/एक्ट/2018/350 दिनांक 05.11.2018 से सबस्टैण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006) होना पाया गया है। गैरसायल के द्वारा परिवाद में अंकित आरोप को स्वीकार किये जाने के कारण उक्त परिवाद में अंकित तथ्य की पुष्टि भी होती है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल गणेश सुरेका पुत्र मन्नालाल सुरेका मैसर्स- राजघराना मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड राजलदेसर जिला चूरु को 10,000/- रुपये दस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य




3)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रतिलिपि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि

*no2*  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चूरु

है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
चूरु

